उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या- 48/2016/194/22-4-16-48(70)94टीसी-3

लखनऊ : दिनांक: 20 अप्रैल,2016

अधिसूचना

कारागार अधिनियम-1894 (अधिनियम संख्या-9, सन् 1894) की धारा-3 के खण्ड(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल आदेश देते हैं कि नवीन जिला कारागार, आजमगढ़ की प्रसीमा, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, का स्थायी रूप से उपयोग बंदियों को निरूद्ध करने और उनका सुधार करने के लिए कारागार के रूप में किया जायेगा।

अनुसूची

नवीन जिला कारागार, आजमगढ़ की सीमाएं

दिशा	गाटा-खसरा संख्या/भूमि की स्थिति	सम्बन्धित ग्राम का नाम	विवरण
उत्तर	गाटा सं0-39 से 53 एवं गाटा सं0-161	इटरौरा	मकान व दुकान व कृषकों की परती भूमि के बाद गाजीपुर मार्ग व चक्रपानपुर मार्ग के बाद नाली।
दक्षिण	गाटा सं0-149 गाटा सं0-166	इटरौरा	सड़क व चक्रपानपुर मार्ग के बाद सेक्टर मार्ग।
पूरब	गाटा सं0-161 मि0 व 164 मि0 व गाटा सं0-153	इटरौरा	आजमगढ़ चक्रपानपुर मार्ग व कारागार विभाग के आवास के बाद कृषित भूमि व नाली।
पश्चिम	गाटा सं0-65 व 84	इटरौरा	बाहा के बाद चण्डेश्वर-टेऊखर व पटटी तथा चक्रपानपुर मार्ग ग्राम इटरौरा, आजमगढ़ कारागार विभाग के आवास के पश्चिम में।

(देबाशीष पण्डा)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Karagar Prashasan Evam Sudhar Anubhag-4

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no- 48/2016/194/22-4-16-48(70)94TC-3 Dated- 20-04-2016 for general information.

NOTIFICATION
No- 48/2016/194/22-4-16-48(70)94TC-3
Lucknow, Dated- 20-04-2016

In exercise of the powers under clause (1) of section-3 of the Prisons Act. 1894(Act.no-9 of 1894), the Governor is pleased to order that the precinct of the Naveen District Prison Azamgarh boundaries of which are specified in the Schedule below, shall be used permanently as Prison for the detention and reformation of prisoners.

SCHEDULE

Boundaries of the Naveen District Prison Azamgarh

Direction	Gata-Khasara Number/Land Position	Name of concerned Village	Details
North	Gata no-39 to 53 & Gata no-161	ITRAURA	Ghazipur way after House, shop & farmer fallow land drainage after Chakrapanpur way in the.
South	Gata no-149 & Gata no-166	ITRAURA	After the road Chakrapanpur way sector way.
East	Gata no-161,164 &163	ITRAURA	After Azamgarh Chakrapanpur way & residence of prison department. Agricultural land & drainage.
West	Gata no-65 & 84	ITRAURA	Chandeshwar-Taukhar & Patti After Baha, and Chakrapanpur way Village-ltraura, Azamgarh, in the west of residence of prison department.

(Debasish Panda)
Principal Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।